तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1.9.21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादी 1, 2, 6 ता 8, 10 ता 12, 14, 16 की तामिल काफि मानकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती। प्रतिवादी 3, 4, 5, 9, 13, 15 की तलबी जरिये Regd AD से करायी रसीद पेश की तथा तामिल काफि मानकर बाद सूचना हाजिर नहीं आये। बार-बार न्यायालय में आवाज लगाने पर उप० इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर Exparty की जाती है। अतः पत्रावली दि. 8/9/21 को वास्ते साक्ष्यवादी एवं बहस हेतु पेश हो
8/9/21	पत्रावली पेश हुई ... [illegible] न्यायालय में कार्य नहीं कर रहे हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार ... [illegible] 13/9/21
13/9/21	पत्रावली पेश हुई ... [illegible] न्यायालय में कार्य नहीं कर रहे हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार ... [illegible] 8/10/21 ... कैम्प रामपुरा
8/10/21	पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 कैम्प रामपुरा में पेश हुई वादी उप०। प्रतिवादीगण बाद तामील अनु०। वाद पत्र स्वीकार कर वादी ने विभाजन प्रस्ताव बाबत निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया कि राजस्व ग्राम ... प०स० रामपुरा के ख.न. 417 रकबा 0.49 हे., ख.न. 418 रकबा 0.02 हे., ख.न. 419 रकबा 0.89 हे. ख.न. 479 रकबा 0.03 हे., ख.न. 480 रकबा 0.05 हे., ख.न. 481 रकबा 0.08 हे., ख.न. 482 रकबा 0.01, ख.न. 483 रकबा 8.17 हे. कुल किता 8 कुल रकबा 9.74 हे. है। भूमि खातेदारी का कब्जा काश्त अनुसार 9.74 हे. भूमि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के हिस्से कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग से खाता खतौनी पासबुक जारी कर अलग से लगान निर्धारित किया जावे।	

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कामड़ी प०स० रामपुरा के ख०न० 517 रकबा 0.49 हे०, ख०न० 518 रकबा 0.02 हे०, ख०न० 519 रकबा 0.89 हे०, ख०न० 479 रकबा 0.03 हे०, ख०न० 480 रकबा 0.05 हे०, ख०न० 481 रकबा 0.08 हे० ख०न० 482 रकबा 0.01 हे०, ख०न० 483 रकबा 8.17 हे० कुल किता 8 कुल रकबा 9.74 हे० भूमि मे रास्ते का प्रावधान रखते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कब्जे काश्त अनुसार विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को रु 800/- की फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों मे शिविर रामपुरा मे पेश करे

(साबुराम जाट)
प्रभारी अधिकारी ,मलसीसर
प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

8/10/21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली मे खाता विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर कैम्प रामपुरा

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

रामनिवास बनाम जयदीप वगै.

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 33/2021

निर्णय

निर्णय दिनांक :— 08/10/2021

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम बास्सड़ी प.म. रामपुरा के ख.न. 477 रकबा 0.49 है., ख.न. 478 रकबा 0.02 है., ख.न. 419 रकबा 0.89 है., ख.न. 479 रकबा 0.03 है., ख.न. 480 रकबा 0.05 है., ख.न. 481 रकबा 0.08 है., ख.न. 482 रकबा 0.01 है., ख.न. 483 रकबा 8.17 है. कुल किता 08 कुल रकबा 9.74 है.

.... भूमि में से वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 800/— रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत् विभाजन मय रास्ता का प्रावधान रखते हुए किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करे।

.निज,,—..................—..................मुबलिक—..................—दाबन,..................—..................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह—..................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक—.................. को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर)

साधुराम जाट
(आर.ए.एस.) 08/10/21
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
(साधुराम जाट)
प्रभारी अधिकारी, मलसीसर
प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर कैम्प रामपुरा

प्रभारी अधिकारीः– साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

रामनिवास बनाम जयदीप वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 33/2021

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 08.10.2021

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा 08.10.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, तथा तहसीलदार मलसीसर को निदेर्शित किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2021/10 दिनांक 08.10.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

.निज,,–..................–...................मुबलिक–...................–दाबन,.........................–.............................

...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह–...............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक...................–......................... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

साधुराम जाट 08/10/21

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

Reader
Check & Report
6/4/21

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी महोदय,

मलसीसर।

1 रामनिवास उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री किस्तुरा जाति जाट निवासी बासडी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।

2 प्रताप उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री किस्तुरा जाति जाट निवासी बासडी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

T 1 जयदीप उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री प्रेमसुख ✓

T 2 बिमला उम्र 50 वर्ष पत्नी श्री प्रेमसुख ✓

T 3 पूनम उम्र 36 वर्ष पुत्री श्री प्रेमसुख Reg. ✓

T 4 औमप्यारी उम्र 60 वर्ष पुत्री जीवण Reg ✓

T 5 कपिल कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र जुगलाल Reg ✓

T 6 धुडाराम उम्र 50 वर्ष पुत्र बल्ला ✓

T 7 बनवारी उम्र 60 वर्ष पुत्र टिकू ✓

T 8 मदनलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र बल्ला ✓

T 9 मंजू उम्र 45 वर्ष पुत्री जीवण Reg. ✓

T 10 मोहन उम्र 40 वर्ष पुत्र जीवण ✓

T 11 रोहिताश उम्र 56 वर्ष पुत्र जीवण ✓

रामनिवास प्रताप सिंह

12 सुभाष उम्र 53 वर्ष पुत्र जीवण

13 सुभिता उम्र 43 पत्नी जुगलाल

समस्त जातिगण जाट समस्त निवासीगण बासडी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।

14 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये ,शाखा प्रबन्धक

15 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिरू सिंह सर्किल झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक

16 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण–

दावा बाबत – खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

महोदयजी,

वादीगण की और से वाद– पत्र निम्न प्रकार पेश है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम बासडी पटवार हल्का रामपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझनू के हाल भूमि खाता संख्या नया 2 में खसरा नं. 417 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा न. 418 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा न. 419 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा न. 479 रकबा 0.03 हैक्टर , खसरा न. 480 रकबा 0.05 हेक्टर , खसरा न. 481 रकबा 0.08 हैक्टर , खसरा न. 482 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 483 रकबा 8.17 हैक्टर कुल किता खसरा 8 कुल रकबा 9.74 हैक्टर स्थित है जिसे वाद – पत्र में आगे विभाजन योग्य भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
2. यह कि वाद – पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विभाजन योग्य भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे वादीगण का हिस्सा कमश 1/10, 1/10 रकबा 1.948 हैक्टर, वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है उक्त वर्णित भूमि वादीगण की पुस्तैनी भूमि है जो कि

राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 13 अपने – अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्तकार है।

3. यह कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 13 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है मौके पर भूमि का बाहमी बंटवारा कर भूमि को विभाजित कर रखी है। प्रस्तुत भूमि का राजस्व रिकार्ड शामलाती होने के कारण भूमि में भूमि सुधार कार्य, किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य कार्य में वादीगण को काफी परेशानी आती है। इसलिए वादीगण अपने भूमि का मुताबिक कब्जा मौका व राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ता कायम किया जाकर विधिवत विभाजन करवाना चाहते है इसलिए वाद विभाजन का पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि वादीगण अपने हिस्से की भूमि का निरस्तर उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 13 शामलाती राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में वादीगण की काश्त की भूमि में बार–बार बाधा उत्पन्न करते है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना कानूनन उचित है। इसलिए वाद वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि वादीगण नें प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 को कई बार विभाजन योग्य भूमि का विधिवत विभाजन के लिए कहां तो साफ साफ इन्कार हो गये। इसलिए वादीगण को इसी रोज से वाद कारण श्रीमान जी के न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

6. यह कि वाद – पत्र की मद संख्या 1 में विभाजन योग्य भूमि तहसील मलसीसर की सरहद में अवस्थित होने के कारण श्रीमानजी को सुनने का पूरा – पूरा क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

2

रामनिवास प्रतापसिंह

7. यह कि वाद पत्र में प्रतिवादी सख्या 14 व 15 के यहां भूमि रहन दर्ज होने से आवश्यक पक्षकार दावा बनाया गया हैं ।

8. यह कि वाद पत्र में भूमिधारक होने की हैसियत से तहसीलदार मलसीसर को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि वाद – पत्र पूर्ण कोर्ट फीस के साथ पेश है।

10. यह कि वाद – पत्र के साथ डुप्लीकेट प्रति मय शपथ – पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) यह कि वाके ग्राम बासडी पटवार हल्का रामपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझंनू के हाल भूमि खाता संख्या नया 2 में खसरा नं. 417 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा न. 418 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा न. 419 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा न. 479 रकबा 0.03 हैक्टर , खसरा न. 480 रकबा 0.05 हेक्टर , खसरा न. 481 रकबा 0.08 हैक्टर , ख़सरा न. 482 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 483 रकबा 8.17 हैक्टर कुल किता खसरा 8 कुल रकबा 9.74 हैक्टर भूमि मे से वादीगण का हिस्सा कमश 1/10 , 1/10 रकबा 1.948 हैक्टर को "बाई मिटस एण्ड़ बाउण्ड़" के अनुसार रास्ता कायम किया जाकर मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन कर अलग लगान कायम किया जावे तथा अलग खाता खतौनी, पास बुक जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण के हिस्से की भूमि में व्यवधान कारित ना करे तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी ना करें।

रामनिवास प्रतापसिंह

(ग) यह कि अन्य सिधि जो भूल से चाही जाने से रह गई हो तहत मुर्फीद वादीगण फरमाई जावें।

(घ) दादरसी।

दिनांक :–

वादीगण

रामनिवास 1 रामनिवास पुत्र श्री किस्तुरा

2 प्रताप पुत्र श्री किस्तुरा

प्रतापसिंह समस्त जातिगण जाट समस्त

निवासीगण बासडी तहसील

मलसीसर जिला झुन्झुनू

राजस्थान।

Rajkumar Adv.

सत्यापन

रामनिवास

मैं, रामनिवास उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री किस्तुरा जाति जाट निवासी बासडी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान का हूँ जो कि शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त वाद – पत्र की धाराओं में लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के निजी ज्ञान व जानकारी में सही है।

रामनिवास